न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. शिवसिंह आयु 29 साल } पुत्रान पतराम
2. रामपाल आयु 26 साल }
3. सुआबाई बेवा पतराम आयु 53 साल
4. रामप्रसाद आयु 48 साल } पुत्रान गुलकन्दी
5. हल्के आयु 43 साल }
6. बत्तीलाल आयु 38 साल }
7. अमृतलाल आयु 33 साल } पुत्रान विस्पतिया
8. भरतलाल आयु 30 साल }
9. नरसी आयु 23 साल }
10. रूपबाई बेवा विस्पतिया आयु 63 साल

समस्त जातियान जाटव निवासीयान कोंडर तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र भूरा आयु 68 साल जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील करौली जिला करौली राज0
2. तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली
3. उपखण्ड अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 21.07.1982 तहसीलदार करौली बाबत नामांतरकरण संख्या 279 ग्राम कोंडर तहसील करौली तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 04.12.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 के हक में दिनांक 07.11.1975 को खसरा नं. 813/2 में किये गये आवंटन पश्चात् आवंटी को खसरा नं. 854/5 में कब्जा दिया गया था। बाद में पता चलने पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर आवंटी को खसरा नं. 854/5 आवंटित किया गया था जिसके फलस्वरूप नामांतरकरण संख्या 279 दिनांक 21.07.1982 को खोला गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स ने बहस में अपना कथन किया है कि निर्णय दिनांक 21.07.1982 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल है और निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 के हक में दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813/2 रकबा 5 बीघा ग्राम कोंडर का आवंटन किया गया है और जिसके तहत खसरा नम्बर 813/2 का गैर खातेदारी नामांतरकरण हुआ है। दिनांक 30.02.1982 के कोई आवंटन आराजी खसरा नम्बर 854/5 रकबा 5 बीघा रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 के हक में नही हुआ है दिनांक 30.01.1982 का आदेश रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3 ने गैर खातेदारान का खसरा नम्बर परिवर्तन करने का आदेश भी विधि विरूद्ध रूप से किया है जिसके तहत खसरा नम्बर 854/5 रकबा 5 बीघा ग्राम कोंडर तहसील करौली का परिवर्तन नामांतरकरण रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 ने रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 के हक में विधि

विरूद्ध रूप से स्वीकृत गैर खातेदारी का किया गया है जो विधि प्रावधानों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 21.07.1982 अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया आरवीट्रेररी है परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 है रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 को खसरा नम्बर 854/5 रकबा 5 बीघा ग्राम कोंडर तहसील करौली का कोई आवंटन कभी नही किया गया है रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 को रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 के हक में खसरा नम्बर 813/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 854/5 को गैर खातेदारी नामांतरकरण के तहत परिवर्तित करने का संशोधित करने का अधिकार बिना आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग किये नही है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है ऐसी स्थिति में नामांतरकरण संख्या 279 दिनांक 21.07.1982 निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 व रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 द्वारा खसरा नम्बर 854 ग्राम कोंडर किस्म चारागाह भूमि की कोई किस्म परिवर्तन दिनांक 30.01.1982 को खसरा नम्बर 813/2 के स्थान पर 854/5 विधि विरूद्ध रूप से परिवर्तित किया है और रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 द्वारा नामांतरकरण संख्या 279 दिनांक 21.07.1982 को विधि विरूद्ध रूप से स्वीकृत किया है जो विधि प्रावधानों व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 854 चारागाह भूमि है जो ग्रामवासीयान की मवेशियों के चराब की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है एवं खसरा नं. 854 में है 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि आबादी भूमि है जिसमें अपीलाण्ट्स की मकानियम पुख्ता व पाटौर पोश पितागण अपीलाण्ट्स के समय से 40 वर्ष पूर्व की बनी हुयी है धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार चारागाह भूमि में प्राप्त नही होते है नाही चारागाह भूमि आवंटन योग्य होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील निर्णय व आदेश दिनांक 30.01.1982 रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 विधि प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स को निर्णय दिनांक 21.07.1982 बाबत नामांतरकरण संख्या 279 की जानकारी दिनांक 15.07.2019 से पूर्व नही रही है जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी 15.07.2019 को पटवारी हल्का से नकल नामांतरकरण लेने पर हुयी है। दिनांक 21.07.1982 से दिनांक 15.07.2019 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ मय शपथ पत्र प्रस्तुत है जानकारी दिनांक 15.07.2019 से अपील अपीलाण्ट म्याद अंदर पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

एडवोकेट प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि आवंटी रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 को दिनांक 07.11.1975 को खसरा नं. 813/2 आवंटित किया गया था लेकिन कब्जा खसरा नं. 854/5 को दिया गया। इसी प्रकार अन्य आवंटी को खसरा नं. 854/5 आवंटित किया गया था जिसे खसरा नं. 813/2 पर कब्जा दिया गया थ। आवंटी अनपढ़ व्यक्ति है जिसे जिस खसरा नं. में कब्जा दिया गया, उसने उस खसरा नं. में काश्त करना प्रारंभ कर दिया। बाद में इस तथ्य का पता चलने पर उपखण्ड अधिकारी करौली के यहां आवेदन पेश किया गया जिस पर उन्होंने मौका रिपोर्ट, रिपोर्ट पटवारी हल्का, उपलब्ध रिकॉर्ड एवं कब्जे के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में खसरा नं. 854/5 में तथा अन्य आवंटी के हक में खसरा नं. 813/2 में नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे जिसके आधार पर यह नामांतरकरण खोला गया है। अदालत हाजा में अपीलार्थी इस आवंटन को निरस्त करवाने बाबत् निगरानी संख्या 01/2016 तारीख रजु 12.02.2016 लेकर आये थे जिसे अदालत हाजा द्वारा दिनांक 19.06.2019 को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को इस नामांतरकरण की जानकारी भी दिनांक 12.02.2016 से पूर्व रही है एवं अपीलार्थीगण का नामांतरकरण संख्या 279 की जानकारी नहीं होने का कथन गलत है। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का शपथ–पत्र भी झूंठा प्रस्तुत कर अदालत हाजा को गुमराह करने

का प्रयास किया गया है। इसलिए यह अपील मियाद के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित खसरा नं. 813/2 की बजाय खसरा नं. 854/5 में एवं अन्य आवंटी को आवंटित खसरा नं. 854/5 की जगह 813/2 में कब्जा संभलाया दिया गया जिसे मौका रिपोर्ट, कब्जा एवं रिकॉर्ड के आधार पर जांच करके प्रत्यर्थी के नाम खसरा नं. 854/5 में अन्य आवंटी को खसरा नं. 813/2 में नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये जिसके आधार पर यह नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत् पूर्व में भी निगरानी संख्या 01/2016 तारीख रजु 12.02.2016 को पेश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है। अतः यह अपील अपीलाण्ट चलने योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का नामांतरकरण संख्या 279 दिनांक 21.07.1982 बाके ग्राम कोंडर तहसील करौली को यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय मैं लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:11:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: